बी॰एड॰ (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

अभ्यर्थियों द्वारा बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न एवम् उनके उत्तर

प्रश्न **बी॰एड॰ की प्रवेश–परीक्षा के ऑन–लाइन आवेदन पत्र में पंजीकरण (Registration) के आगे की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, क्या करें ?**

उत्तर
- सर्वप्रथम अपने खाते में शेष राशि जांच लें।
- अपने कार्ड की दैनिक सीमा जांच लें। कार्ड विवरण सही अंकित किया है, यह भी जांच लें।
- यदि धनराशि खाते से कट गयी है और आगे की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है तो 48 घंटे प्रतीक्षा करें। यदि तब भी न हो तो, दोबारा भुगतान कर दें। पहली धनराशि यथाशीघ्र खाते में वापस कर दी जायेगी।

प्रश्न **Payment नहीं हो पा रहा है। Error लिख के आ रहा है, क्या करें ?**

उत्तर बी॰एड॰ की प्रवेश–परीक्षा के ऑन–लाइन आवेदन पत्र को स्मार्ट फोन से भरने पर यह हो सकता है। उचित होगा कि अभ्यर्थी लैपटॉप या कम्प्यूटर का प्रयोग करें जिसमें नवीनतम वेब–ब्राउजर जैसे आई.ई–11 इन्स्टाल होना चाहिये। अभ्यर्थी सही लॉगिन आई.डी./पासवर्ड अंकित करें। अभ्यर्थी यदि पासवर्ड भूल गये हैं तो अपना पासवर्ड पुनः बना लें।

प्रश्न **Appearing Candidate के Third Year का Roll Number नही मिला है, क्या करें ?**

उत्तर अभ्यर्थी अपना द्वितीय वर्ष का अनुक्रमांक भर सकते हैं।

प्रश्न **पिछली सत्र की फीस कब तक वापस मिलेगी ?**

उत्तर वित्त–अधिकारी को इस हेतु निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं। धनराशि की वापसी की प्रक्रिया तीव्रता से चल रही है।

प्रश्न **अभ्यर्थी ने हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट/स्नातक में से एक परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है तो आवेदन में निवास प्रमाण पत्र लगेगा या नहीं ?**

उत्तर हाँ, निवास प्रमाण पत्र लगेगा।

प्रश्न **अभ्यर्थी यदि ई.डब्लू.एस. श्रेणी का है तो उसे अपने ऑन–लाइन आवेदन पत्र में ई.डब्लू.एस. एवं आय–प्रमाण–पत्र, दोनो अपलोड करने हैं अथवा कोई एक) ?**

उत्तर अभ्यर्थी को अपने ऑन–लाइन आवेदन पत्र में स्वघोषणा पत्र व सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई. डब्लू.एस. प्रमाण पत्र दोनो अपलोड करने हैं ।

प्रश्न **अभ्यर्थी का आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र वाँछित समय सीमा में नहीं हैं तो क्या करें ?**

उत्तर ऑन–लाइन आवेदन पत्र हेतु अभी पर्याप्त समय उपलब्ध है। नया प्रमाण पत्र यथा शीघ्र बनवा लें।

बी॰एड॰ (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

अभ्यर्थियों द्वारा बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न एवम् उनके उत्तर

प्रश्न **मार्कशीट में सी.जी.पी.ए. है तो ऑन–लाइन आवेदन पत्र में पूर्णांक और प्राप्तांक कैसे भरें?**

उत्तर सी.जी.पी.ए. को प्रतिशत में बदलने (कनवर्जन) का एक फार्मूला होता है। तदनुसार सी.जी.पी.ए. को प्रतिशत में परिवर्तित कर भर लें।

प्रश्न **बी॰एड॰ की प्रवेश–परीक्षा के ऑन–लाइन आवेदन पत्र में प्रारुप 11 क्या है ?**

उत्तर कृपया इसके स्थान पर प्रारुप 8 का प्रयोग करें।

प्रश्न **क्या तहसील से बना हुआ प्रमाणपत्र मान्य है या इसे वाँछित प्रारुप में देना होगा?**

उत्तर वाँछित प्रारुप में तहसील से बना हुआ प्रमाणपत्र मान्य है।

प्रश्न **मैं स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हूँ। क्या मैं बी॰एड॰ की प्रवेश–परीक्षा में बैठने हेतु पात्र हूं?**

उत्तर हाँ।

प्रश्न **मैंने डिप्लोमा किया है। क्या मैं बी॰एड॰ की प्रवेश–परीक्षा में बैठने हेतु पात्र हूं?**

उत्तर बी॰एड॰ की प्रवेश–परीक्षा में बैठने हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है।

प्रश्न **मैं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की महिला हूँ और विवाहित हूँ। मेरे पति अनुसूचित जाति–जनजाति श्रेणी के हैं। मुझे अपने ऑन–लाइन आवेदन पत्र में कौन सा प्रमाण पत्र अपलोड करना है।**

उत्तर आपका जाति प्रमाण पत्र पिता की जाति का ही होगा, अतः अपने ऑन–लाइन आवेदन पत्र में अपना अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र अपलोड करना है।

प्रश्न **मेरे पास 35 प्रतिशत विकलांगता के साथ पी॰एच॰ का प्रमाण पत्र है, क्या मुझे पी॰एच॰ उपश्रेणी का लाभ मिलेगा**

उत्तर नहीं, इस हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।

प्रश्न **मेरे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्र की समय सीमा समाप्त हो गई है। क्या मुझे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षण का लाभ मिलेगा?**

उत्तर नहीं। अभी पर्याप्त समय है, कृपया अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का नया प्रमाण पत्र बनवा लें।

बी॰एड॰ (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

अभ्यर्थियों द्वारा बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न एवम् उनके उत्तर

प्रश्न **मैं अनुसूचित जाति–जनजाति श्रेणी का/की अभ्यर्थी हूँ तथा स्नातक परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। क्या मैं बी॰एड॰ की प्रवेश–परीक्षा में बैठने का/की पात्र हूँ?**

उत्तर आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के अभ्यर्थियों को विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक/ स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य उपाधि की परीक्षा केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। न्यूनतम प्रतिशत की बाध्यता नहीं है।

प्रश्न **मैं उत्तर–प्रदेश राज्य के बाहर की निवासिनी हूँ। मेरा विवाह उत्तर–प्रदेश राज्य के निवासी से हुआ है तथा मैं उत्तर–प्रदेश राज्य में पिछले 10 वर्षों से रह रही हूँ। क्या मुझे बी॰एड॰ प्रवेश–परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्कता है?**

उत्तर बी॰एड॰ प्रवेश–परीक्षा के ऑन–लाइन आवेदन पत्र में अपने निवास प्रमाण पत्र अथवा विवाह प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करें, जिसमें पति के निवास का पता स्पष्ट रुप से अंकित हो।